न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–37/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00017)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली।

——अपीलान्ट

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र ग्यारसीलाल,
2. बसन्तीलाल पुत्र ग्यारसीलाल,
3. मांगी देवी पत्नी स्व. ग्यारसीलाल, समस्त जाति अहीर, निवासी पावटा, तहसील कोटपूतली।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 14.12.2018 (प्रकरण संख्या 24/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1867, 1870 लगायत 1876 कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पावटा के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण के बुर्जगॉन थे, मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त साबिक खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 1781/0.02, 1783/0.34, 1783/1257 रकबा 0.07, 1784/1.32, 1785/0.47, 1786/0.91, 1787/0.03, एवं 1788/0.75 कुल किता 8 कुल रकबा 3.91 हैक्टयर बने है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 1779 रकबा 36.9070 गै0.मु0 आबादी (सार्वजनिक) में से 0.57 हैक्टयर भूमि को कम कर प्रतिवादीगण के खसरा नम्बरान 1786 के रकबे की पूर्ति हेतु 0.57 हैक्टयर भूमि का अलग से बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड एवं हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया, इस प्रकार सार्वजनिक गै0 मु0 आबादी की भूमि कम किये जाने का आदेश राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि मिलान क्षेत्रफल में प्रतिवादीगण के साबिक नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बर में खसरा नम्बर 1779 का कोई उल्लेख नही है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना एवं रिकार्ड के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1779 के बढ़े हुऐ रकबे के आधार पर यह मान लिया कि प्रतिवादीगण का कम रकबा खसरा नम्बर 1779 में निहित है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा यह कोई तथ्य साक्ष्य, सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नही किये जिससे यह तथ्य पूर्णतया साबित होता है कि प्रतिवादीगण का कम रकबा खसरा नम्बर 1779 में मिला हुआ है, इस तथ्य से पैरोकार सरकार

P.T.O.

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवा दिया गया था, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्यों, सबूतों एवं तथ्यों से परे है एवं निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1779 ग्राम पंचायत के खाते में गै0 मु0 आबादी के रूप में दर्ज है, ग्राम पंचायत की ओर से भी अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत कराया गया था कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद बाबत घोषणात्मक एवं राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती का न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में विचाराधीन है इसलिऐ रेगुलर सूट के चलते यह कार्यवाही पृथक से नही चल सकती है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया, इस प्रकार निर्णय अपास्त योग्य है। उन्होने यह भी अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1779 गै0 मु0 आबादी ग्राम पावटा से लगता खसरा नम्बर गै0 मु0 नदी का खसरा नम्बर है, दोनों खसरा नम्बरान के बीच विभाजन रेखा नही होने से ये दोनों खसरा नम्ब एक दूसरें में मिलते है, साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैर0 मु0 नदी का रकबा कम है, जो खसरा नम्बर 1779 गै0 मु0 आबादी में मिला हुआ है, है, तथ्य राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है इसलिये शुद्धि के लिऐ भूमि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहाँ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त तथ्यों के रहते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो काबिले खारिज है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाणित माना है कि साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का तुलनात्मक (सुपर इम्पोज) मिलान करने से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर से बरामद हाल खसरा नम्बर 1781, 1784 से 1786, 1788 में साबिक रकबा के विपरित हाल राजस्व अभिलेख में कम दर्ज किये गये रकबे के चारों तरफ हाल खसरा नम्बर 1779 अस्थित है जिससे प्रार्थीगण का कम रकबा उक्त हाल खसरा नम्बर 1779 के रकबे में समाहित है, जबकि हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1779 के दक्षिणी दिशा की ओर ही प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर स्थित है, ना कि खसरा नम्बर 1779 के चारों ओर नक्शा ट्रेस से यह तथ्य प्रमाणित है, साबिक नक्शे में ही प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर उक्त आबादी के खसरा नम्बर के केवल दक्षिण दिशा में स्थित साबिक नक्शा ट्रेस से यह तथ्य स्पष्ट है, खसरा नम्बर 1779 की शेष तीनों दिशाओं में अन्य खसरा नम्बरान स्थित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से यह मान लिया कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर के चारों तरफ खसरा नम्बर 1779 स्थित, इसलिये प्रतिवादीगण का कम रकबा खसरा नम्बर 1779 में स्थित है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस इत्यादि का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही तत्यों के विपरित जाकर मनमाना निर्णय पारित

किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2018 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1867, 1870 लगायत 1876 कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पावटा के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट के दादा भूरा पुत्र महादेव कौम अहीर सा. देह थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् आज तक रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज मालिक है, साबिक खसरा नम्बरा से बने हाल खसरा नम्बर 1781, 1783 लगायत 1788, व 1783/2357 कुल किता 8 कुल रकबा 3.91 हैक्टयर (15 बीघा 17 बिस्वा भू प्रबन्ध कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा से हाल ख सरा नम्बर रकबा 3.91 हैक्टयर यानि 15 बीघा 17 बिस्वा ही प्राप्त हुआ जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि से लगभग 2 बीघा 2 बिस्वा कम प्राप्त हुआ है जो खसरा नम्बर 1779 में मिला दिया गया है लेकिन भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की गलती से रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल में कोई उल्लेख नही किया जबकि यदि किसी भूमि के खसरा नम्बरों का रकबा घटाया या बढ़ाया जाता है तो उनका उल्लेख किया जाना चाहिये कि किस खसरा नम्बर से कौनसा खसरा नम्बर बना है तथा कितने रकबे को मिलाया है, आबादी के खसरा नम्बर 1779 का रकबा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 44 बीघा 10 बिस्वा ही होना चाहिये फिर 39.08 हैक्टयर (156 बीघा 6 बिस्वा) किस आधार पर दर्ज कर दिया जो लगभग 111 बीघा 16 बिस्वा अधिक दर्ज कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि को लगभग 2 बीघा 2 बिस्वा कम कर दिया जो कानूनन गलत है इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि को आबादी भूमि खसरा नम्बर 1799 में सम्मलित कर दिया किन्तू सैटलमेन्ट कर्मचारी द्वारा मिलान क्षेत्रफल में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बरों को दर्ज करने से लोप किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1873 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1788/0.75 व साबिक आराजी खसरा नम्बर 1875 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1785/0.47 खसरा नम्बर 1786/0.91 व साबिक आराजी खसरा नम्बर 1876 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा जिसे हाल खसरा नम्बर 1784/1.32 वाके मौजा पावटा का कुल रकबा प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण संख्या 10 में 2 बीघा 2 बिस्वा बन्दोबस्त कर्मचारियो ने कम दर्ज करके हाल खसरा नम्बर 1779 वाके मौजा पावटा में मिला दिया है, उसे दुरूस्त करके ग्राम पचायत की भूमि खसरा नम्बर 1779 वाके मौजा पावटा में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का रकबा कम करके रेस्पोडेन्ट की भूमि के राजस्व रिकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 1873 का रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1788 में रकबा 11 बिस्वा जोडा जाने तथा साबिक खसरा नम्बर 1875 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के अनुसार हाल खसरा नम्बरान 1785/0.47, खसरा नम्बर 1786/0.91 का कुल रकबा 1.38 हैक्टयर में 12

बिस्वा जोडा जाने तथा साबिक खसरा नम्बर 1876 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1784 का रकबा मात्र 1.32 में 19 बिस्वा भूमि जोडी जाने एवं हाल खसरा नम्बर 1786 का रकबा 0.87 हैक्टयर की जगह 0.91 हैक्टयर दर्ज किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक सुनवाई कर एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पात्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1779 में से कम करके उक्त रकबे का अलग से बटा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड एवं हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये गये है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उनके हिस्से की कम रकबा को खसरा नम्बर 1779 में मिलाया गया हो साबित होता हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य साबित ना होने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2018 पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2018 को निरस्त किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।